न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी का नामः—काना राम, आई.ए.एस.

इस्तगासा संख्याः—08/2024

स्टेट जरिये थानाधिकारी, पुलिस थाना हनुमानगढ़ टाउन जिला हनुमानगढ़

——स्टेट

बनाम

दीपक उर्फ दीपु पुत्र श्री आशाराम जाति ओड उम्र 23 साल निवासी वार्ड नं. 10 नौरंगदेसर पुलिस थाना हनुमानगढ़ टाउन जिला हनुमानगढ़।

——गैरसायल

इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975

उपस्थितः—1. अभियोजन अधिकारी स्टेट की ओर से।
2. गैरसायल स्वयं उपस्थित ।

निर्णय **दिनांकः—19.06.2024**

यह इस्तगासा थानाधिकारी पुलिस थाना, हनुमानगढ़ टाउन द्वारा मार्फत पुलिस अधीक्षक, हनुमानगढ़ इस न्यायालय में प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रस्तुत इस्तगासा के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि गैरसायल दीपक उर्फ दीपु पुत्र श्री आशाराम जाति ओड उम्र 23 साल निवासी वार्ड नं. 10 नौरंगदेसर पुलिस थाना हनुमानगढ़ टाउन जिला हनुमानगढ़ का रहने वाला है। गैरसायल जवान उम्र का अपराधी प्रवृति का व्यक्ति है। गैरसायल सट्टा की खाईवाली करने का आदी है जो सट्टा की खाईवाली करने में सक्रिय है, जिससे समाज में लगातार अनेक अपराधों को बढ़ावा मिल रहा है। ग्राम नोरंगदेसर व आसपास क्षेत्र के लोग इससे काफी भयभीत रहते है व इससे सट्टा की खाईवाली व अवैध धन्धा करने से मना करने पर ये झगड़ा पर उतारू हो जाता है तथा इसकी शिकायत करने से लोग डरते है। गैरसायल की ग्राम व आसपास के ईलाका में आम शोहरत खराब है। पुलिस थाना, हनुमानगढ़ टाउन के रिकार्ड के अनुसार गैरसायल के विरूद्ध निम्न 2 अभियोग पंजीबद्ध होकर चालान न्यायालय में पेश किये गये है जिनमें सभी अभियोगों में सजायाब है जिनका विवरण निम्न प्रकार हैः—

क्र. सं.	मु. नं. मय दिनांक	धारा	नतीजा पुलिस	नतीजा अदालत
1.	570/2022	धारा 13 आरपीजीओ	चालान	सजा 01.12.2023
2.	364/2022	धारा 13 आरपीजीओ	चालान	सजा 01.12.2023

गैरसायल की आपराधिक गतिविधियां लगातार बढ़ रही है। इसकी ऐसी गतिविधियों से आम जनता को आर्थिक नुकसान हो रहा है जिसका समाज में बुरा प्रभाव पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में गैरसायल की आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाया जाना आवश्यक है। अतः गैरसायल के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 में कार्यवाही करते हुए उचित समय के लिए जिला से निष्कासित करने का आदेश फरमावें।

गैरसायल दीपक उर्फ दीपु पुत्र श्री आशाराम जाति ओड उम्र 23 साल निवासी वार्ड नं. 10 नौरंगदेसर पुलिस थाना हनुमानगढ़ टाउन जिला हनुमानगढ़ को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैरसायल स्वयं उपस्थित हुआ।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पैरोकार राज अभियोजन अधिकारी द्वारा इस्तगासा के तथ्यों का विस्तृत उल्लेख करते हुए कथन किया कि गैरसायल आपराधिक गतिविधियां करने का अभ्यस्त अपराधी है। गैरसायल की गतिविधियों से आमजन आशंकित रहता है। अतः गैरसायल को गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम की धारा 3 के तहत जिला बदर किया जावे।

गैरसायल आज दिनांक 19.06.2024 को स्वयं उपस्थित होकर इस्तगासा में वर्णित जुर्म स्वीकार करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। गैरसायल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए

कथन किये कि प्रार्थी के विरूद्ध गुण्डा एक्ट के तहत उक्त परिवाद प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी उक्त प्रकरण में अपना जुर्म स्वीकार कर प्रकरण का निस्तारण करवाना चाहता है। प्रार्थी भविष्य में किसी प्रकार की आपराधिक गतिविधियों में भाग नहीं लेगा। मैं उक्त इस्तगासा में वर्णित जुर्म के सम्बन्ध में कोई जवाब व साक्ष्य आदि पेश नहीं करना चाहता। प्रार्थी अब दिहाड़ी मजदूरी कर अपना व अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है तथा सामाजिक जीवन व्यतीत कर रहा है। प्रार्थी की ओर नरमी का रूख अपनाते हुए उक्त प्रकरण का निस्तारण फरमाने का निवेदन किया।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। गैरसायल को माननीय सक्षम न्यायालय द्वारा धारा 13 आर.पी.जी.ओ. के सभी मुकदमों में दोष सिद्ध होने के तथ्य को स्वीकार करने पर सजायाब किया गया है। इस प्रकार उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर गैरसायल राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 2ख(V) के अन्तर्गत गैरसायल गुण्डा की परिभाषा में कवर होता है किन्तु जिला या क्षेत्र से बाहर किये जाने हेतु राजस्थान गुण्डा नियत्रंण अधिनियम 1975 की धारा 3(क) की शर्त के साथ 3(ख) में वर्णित शर्तो का भी होना जरूरी है अर्थात व्यक्ति के गुण्डा होने के साथ–साथ यह भी जरूरी है कि वह विनिर्दिष्ट अपराध/कृत्य को करने में निरन्तर रत रहे तथा उसके द्वारा की जा रही गतिविधियों से किसी व्यक्ति या सम्पति को खतरा या नुकसान होने की सम्भावना हो।

इस सम्बन्ध में पत्रावली का अवलोकन करने पर यह जाहिर होता है की गैरसायल के विरूद्ध 2 मुकदमें दर्ज हुए है। दोनों मुकदमों में गैरसायल को न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया है। थानाधिकारी हनुमानगढ़ टाउन द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा के साथ संलग्न रोजनामचा के अनुसार दिनांक 24.01.2024 को यह रपट दर्ज की गई है कि गांव नोरंगदेसर के लोगों द्वारा गुप्त रूप से बताया कि हमारे गांव का दीपक उर्फ दीपू बदमाश किश्म का व्यक्ति है जो गांव में सट्टे की खाईवाली व अवेध धन्धा करने का आदि है जिसके खिलाफ पूर्व में कई मुकदमें दर्ज है। गांव में दीपक उर्फ दीपू से लोगों में भय व्याप्त है। लोग इसकी शिकायत करने व इसके खिलाफ बोलने से डरते है जिससे सभ्य समाज में अशांती का माहोल बना हुआ है। ऐसी स्थिति में उक्त गैर सायल की आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाया जाना अति आवश्यक है, का ऐसे कृत्य में अभ्यस्त होना निश्चित ही जन सामान्य में परेशानी एवं खतरे का सूचक है।

गैरसायल को अपने बचाव में साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित एवं पर्याप्त अवसर दिया गया है किन्तु गैरसायल द्वारा ऐसा कोई ठोस प्रमाण/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिसके आधार पर सायल पक्ष द्वारा लगाये गये आरोपों का खण्डन किया जा सके। प्रकरण को देखते हुए गैरसायल इस प्रकार के आपराधिक कृत्य को भविष्य में नहीं करेगा, इस सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है। मामले की परिस्थितियों के आधार पर गैरसायल के विरूद्ध गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के अन्तर्गत परिभाषित आरोप प्रमाणित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय को यह समाधान हो गया है कि राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत गैरसायल के विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु पर्याप्त एवं समुचित आधार है, गैरसायल के विरूद्ध लगाये गये आरोप प्रमाणित होते है।

अतः गैरसायल दीपक उर्फ दीपु पुत्र श्री आशाराम जाति ओड उम्र 23 साल निवासी वार्ड नं. 10 नौरंगदेसर पुलिस थाना हनुमानगढ़ टाउन जिला हनुमानगढ़ को राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत 10 दिवस की अवधि तक हनुमानगढ़ जिले से बाहर जिला बीकानेर में चले जाने हेतु आदेश दिये जाते है। गैरसायल दिनांक 20.05.2024 को थानाधिकारी पुलिस थाना हनुमानगढ़ टाउन को सूचित करते हुए हनुमानगढ़ जिले की सीमा से बाहर चला जावे तथा गैरसायल निष्कासन अवधि में जिस स्थान पर निवास करेगा उस स्थान के थानाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर सूचित करेगा। निष्कासन अवधि समाप्ति पर सम्बन्धित थानाधिकारी को अवगत करवाकर पुलिस थाना, हनुमानगढ़ टाउन की सीमा में प्रवेश करेगा तथा वापसी पर थानाधिकारी पुलिस थाना, हनुमानगढ़ टाउन को सूचित करेगा। सम्बन्धित थानाधिकारी गैरसायल की दैनिक गतिविधियों पर पूर्ण निगरानी रखेगा। निर्णय की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, हनुमानगढ़ को पालना हेतु भेजी जावे।

आदेश आज दिनांक 19.06.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
सत्यमेव जयते
हनुमानगढ़

(काना राम)आई.ए.एस.
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़